

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/86/2017/10-11/12/5499

भोपाल, दिनांक 06-11-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला दमोह के अंतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 19.10.2024

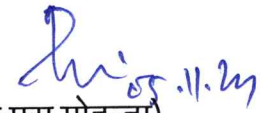
—00—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से एन.पी.व्ही की अन्तर की राशि रुपये 35,53,578/- आवेदक विभाग से आनलाईन कैम्पा मद में जमा कराये जाने के निर्देश प्रदाय किये गये।

उपरोक्त संबंध में आवेदक विभाग द्वारा पत्र दिनांक 30.10.2024 (छायाप्रति संलग्न है) से अवगत कराया है, कि एन.पी.व्ही की अन्तर की राशि रुपये 35,53,578/- आनलाईन कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है। जिसकी पुष्टि आनलाईन पोर्टल पर की जा सकती है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/86/2017/10-11/12/5500

भोपाल, दिनांक 06-11-24

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमंडलाधिकारी, सा0 वन मण्डल, दमोह, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह, जिला दमोह, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह



Tel. 07812 - 222779(0), 07812-229236(Fax)

wrddamoh@gmail.com

पत्र क्र. 1617 कार्य/2024
प्रति,

दमोह दिनांक 30/10/2024

- विषय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल
- संदर्भ:- जिला दमोह के अंतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-39/2018 एफ.सी. दिनांक 19.05.2024
2. आपका पत्र क्रमांक/एफ-3/86/2017/10-11/12/5222 भोपाल दिनांक 10.10.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त चाही गई NPV जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

क्र.	उठाई गई आपत्तियां	आपत्ति का निराकरण
i	The State Govt. Vide their letter dated 14.06.2022 has mentioned that the user agency has deposited an amount of Rs. 34617800/- towards NPV and now the State Govt. vide their letter dated 26.09.2024 has mentioned that in reference to the differential amount of NPV to be paid as per the revised rates of NPV the User agency has deposited an amount of Rs. 33323227/- online in CAMPA account. This signify that a total of Rs. 67941027/- has been deposited by User agency towards NPV online in CAMPA account. However as per details mentioned in online Part-II of Parivesh Portal against the instant proposal the density of the proposed forest area for diversion is reported as 0.4 having Eco-Class 5 and as per the revised NPV rates an amount of Rs. 71494605/- (Rs. 1292850/- Per ha. For Eco- class 5 having 0.4 density x 55.3 ha area proposed for diversion) is to be realized from the user agencies in lieu of diversion of forest land. Therefore the differential amount of Rs. 3553578/- (71494605-Rs. 67941027) shall be deposited online in CAMPA account.	The balance amount of NPV Rs. 3553578/- is submitted by us through Application No. 5730441005 in light of aforementioned guidelines.

अतः निवेदन है कि प्रकरण में यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(शुभम अग्रवाल)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग दमोह
दमोह दिनांक 30/10/2024

पृष्ठां. क्र. 1617 ए कार्य/2024
प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी सा0 वन मण्डल, दमोह जिला दमोह की ओर सादर सूचनार्थ।

(शुभम अग्रवाल)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग दमोह